

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1085 / 2022 दिनांक 31.03.2022

श्री मधुसूदन राय (RJ0361), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, धौलपुर को दिनांक 18.04.2022 से 30.04.2022 तक 13 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 14.04.2022 से 15.04.2022, 17.04.2022 व 01.05.2022 के राजपत्रित अवकाशों एवं 16.04.2022 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री राय की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, धौलपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 31.03.2022

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/67/2000/2470

दिनांक 31.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, धौलपुर को उनके पत्रांक 25 दिनांक 24.02.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री मधुसूदन राय (RJ0361), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, धौलपुर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर।


31.3.2022
सहायक रजिस्ट्रार